



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2727]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2016/कार्तिक 30, 1938

No. 2727]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2016/KARTIKA 30, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2016

का.आ. 3491(अ).— यतः दिल्ली की मुख्य योजना-2021 में केन्द्र सरकार का अधोउल्लिखित के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.11.2014 की का.आ. 2920(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त 'आपत्तियों / सुझावों' पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में भी अनुमोदित किया गया है।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली की मुख्य योजना- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

**संशोधन:**

क्र.सं.	श्रेणी (का.आ. 2985(अ) दिनांक 23.09.2013 के संशोधनों के अनुसार)	जनसंख्या/इकाई (लगभग)	प्लॉट क्षेत्रफल	
			दि.मु.यो.-2021 के अनुसार मौजूदा	दि.मु.यो 2021-में प्रस्तावित संशोधन
1	प्राथमिक विद्यालय	10,000	0.2 - 0.4 है.	0.2 है.
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय	10,000	0.6 - 0.8 है.	0.4 है. - 0.8 है.
3	मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	10.0 लाख	0.2 है.	0.2 है.
4	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय	10.0 लाख	0.2 है.	0.2 है.

[फा. सं. के-12011/8/2016-डीडी.1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2016

**S.O. 3491 (E).**— Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 2920(E) dated 15<sup>th</sup> November, 2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section(3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of said notice.

2. Whereas, objections/ suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

Sl. No.	Category (as per modification vide S.O. 2895(E) dated 23.09.2013)	Population/ unit (approx.)	Plot Area	
			Existing as per MPD-2021	Proposed Amendment in MPD-2021
1.	Primary School	10,000	0.2-0.4 ha.	0.2 ha
2.	Sr. Secondary School/ Secondary School	10,000	0.6-0.8 ha.	0.4 ha. - 0.8 ha
3.	School for Mentally challenged	10.0 lakh	0.2 ha	0.2 ha
4.	School for differently abled persons	10.0 lakh	0.2 ha	0.2 ha.

[F.No. K-12011/8/2016-DD.1]

SUNIL KUMAR, Under Secy.